

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Supreme Build-Cap Limited, Flat No. 116, First Floor, Plot No. D-1, Ashirwad Complex, Green Park, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,49,994 (Rs. Seven lac forty nine thousand nine hundred ninety four) only on the aggregate value of shares of Rs. 74,99,94,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 5100001 to 10000000 to be issued by the said company.

By Order,
Of Chief Controlling Revenue Authority,
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISHRA,
Special Inspector General (Registration)

पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

फा. सं. 8(348)/ईए/पर्या./09/2246.—दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या यू. 11030/जे/91-यूटीएल के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 30 मार्च, 2009 के आदेश संख्या फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/14433-14451 तथा फा.सं. 8(348)/ईए/पर्या./09/14452-14470 के अनुसार जारी तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/555-582 तथा फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/583-610 के अनुसार जारी निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में भूमिगत जल विनियम तथा प्रबंधन के लिये दिनांक 18 मई, 2010 को आदेश सं. फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/1041-1061 के द्वारा संलग्न निर्देश जारी किए हैं।

जारी किए गए यथा संलग्न निर्देश इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुषमा जैरथ, उप-सचिव

पर्यावरण विभाग

आदेश

दिल्ली, 18 मई, 2010

विषय : पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत निर्देश।

सं. फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/1041-1061.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत शक्तियों

के प्रयोग करने के लिए तथा किसी कार्य या प्रक्रम के समापन, प्रतिबंध या विनियमन या विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की पूर्ति में रोक या विनियमन के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को इसके अन्तर्गत निर्देश जारी करने के लिए दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना एसओ 667 (अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल को प्राधिकृत किया है।

और, जबकि दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 4) के अन्तर्गत गठित दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेय, घरेलू औद्योगिक तथा वाणिज्यिक जल पूर्ति के नेटवर्क का संचलन कर रहा है;

और जबकि निरन्तर भूमिगत जल दोहन से भूमिगत जल संसाधनों के जल स्तर में भारी हास हुआ है;

और जबकि अप्रतिबंधित एवं अनयमित भूमिगत जल दोहन के गंभीर दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकट होते हैं;

और जबकि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप भूमिगत जल संसाधन सूख सकते हैं और जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

और जबकि केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जिलों को "अधिसूचित क्षेत्रों" के रूप में अधिसूचित किया था और उक्त जिलों में अधिक गिरते जल स्तर को तथा जल की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए भूमिगत जल संसाधनों का दोहन हेतु निर्माण और किसी संरचना के प्रतिस्थापन करने संबंधी, प्रतिबंध और अंकुश लगाया गया था;

और जबकि मार्च, 2006 की एक अन्य अधिसूचना से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने दिल्ली के पूर्वी, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी जिलों को विनियमन की आवश्यकता वाले अधिक शोषित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया है और उन जिलों में भूमिगत जल दोहन की संरचनाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया।

अतः, अब गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना एसओ 667(अ) फा. सं. यू. 11030/1/91-यू.टी.एल. के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 30 मार्च, 2009 के आदेश सं. फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/14433-14451 तथा सं. फा. 8(348)/ईए/पर्या./09/14452-14470 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के आदेश सं. 8(348)/ईए/पर्या./09/555-582 तथा सं. 8(348)/ईए/पर्या./09/583-610 के अनुसार जारी निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :-

- (1) समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई भी व्यक्ति, समूह, प्राधिकरण, संघ या संस्थान, "सक्षम प्राधिकरण" अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड या नई दिल्ली नगर परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व अनुमति के बिना घरेलू, वाणिज्यिक कृषि तथा या औद्योगिक प्रयोगों के लिए बोरवैल या नलकूप (नए तथा विद्यमान दोनों तथा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की बिना अनुमति वाले) से भूमि जल का दोहन नहीं करेगा/करेगी।

- (2) बोरवैल/ट्यूबवैल की अनुमति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही दिल्ली सरकार के प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त (राजस्व) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति, उसके अन्तर्गत आने वाले संबंधित राजस्व क्षेत्र में भू-जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के उद्देश्य से "अधिकृत अधिकारी" के रूप में की जाती है।
- (3) इसके अलावा, दिल्ली सरकार के प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त राजस्व; जो कि अधिकृत अधिकारी है, नियमों के उल्लंघन की जांच, अवैध बोरवैल/ट्यूबवैल को सील करना, अपराधियों के विरुद्ध मुकद्दमें दायर करने आदि जैसे अन्य मुद्दों पर भी कार्यवाही की शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर भू-जल संबंधी शिकायतों का निवारण भी शामिल है।
- (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नौ राजस्व क्षेत्रों में, प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त की अध्यक्षता में अलग-अलग एक सलाहकार समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- | | |
|--|---------|
| 1. उपायुक्त (राजस्व), संबंधित क्षेत्र | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (पंचायत) | सदस्य |
| 3. मुख्य अभियन्ता दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मनोनीत | सदस्य |
| 4. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. क्षेत्र का अधिकार रखने वाले स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. संबंधित उपायुक्त द्वारा मनोनीत प्रसिद्ध भूमि जल प्रबंधन की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के प्रतिनिधि | सदस्य |
- (5) सलाहकार समिति की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होगी जिसमें समिति संबंधित राजस्व क्षेत्र के भूमि जल के विनियम एवं प्रबंधन संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करके अपनी सिफारिशों को विचारार्थ एवं प्रवर्तन हेतु उपायुक्त को भेजेगी। केवल संस्तुत भू-जल बोरिंग के मामले ही अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।
- (6) गैर कानूनी भूमि जल निकासी के तत्काल उल्लंघन जैसे मामलों में अधिकृत अधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर, ड्रिलिंग रिग को जब्त करके, निर्मित ट्यूबवैल/बोरवैल अगर निर्मित है तो उसे सील करे, तथा बिजली युक्त ट्यूबवैल की बिजली आपूर्ति चाहे यह डीजल जेनरेटर सैट के माध्यम से हो, काटकर, बिना सलाहकार समिति की सिफारिश का इंतजार किए भूमिगत जल के अवैध दोहन के रोकने को सुनिश्चित करेगा। तथापि ऐसी कार्यवाही का विवरण अधिकृत अधिकारी द्वारा अगली सलाहकार समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- (7) यदि कोई व्यक्ति, समूह प्राधिकरण, संघ या संस्थान बोरवैल या ट्यूबवैल (नए तथा विद्यमान दोनों तथा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूमि जल निकासी करने वाले) के माध्यम से जल निकासी करना चाहता है तो वह सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लेगा। यह अनुमति सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्रीय कार्यालयों में, विनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन देकर प्राप्त की जाएगी।
- (8) सक्षम प्राधिकारी का कार्यकारी अभियन्ता, संबंधित क्षेत्र का प्रभारी, तथ्यों के आधार पर राजस्व क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त (राजस्व) को मामले की सिफारिश करेगा, जो सक्षम प्राधिकरण के कार्यकारी अभियन्ता तथा सलाहकार समिति की सिफारिशों को देखते हुए आदेश जारी करेगा।
- (9) यदि भवन का प्लॉट का आकार 200 वर्ग मीटर से अधिक है तो बोरवैल या ट्यूबवैल (नए तथा विद्यमान दोनों तथा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूमि जल निकासी करने वाले से भूमि जल निकासी की अनुमति इस शर्त पर होगी कि उक्त प्लॉट या भवन का अधिकारी या स्वामी भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करेगा।
- (10) व्यावसायिक या औद्योगिकी उपयोग हेतु बोरवैल या ट्यूबवैल (नए तथा विद्यमान दोनों तथा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अनुमति के बिना भू-जल निकासी करने वाले) से भूमि जल निकासी की अनुमति इस शर्त पर होगी, कि संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण, वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट जल का उचित प्रशोधन के बाद बागवानी, शीतलीकरण या शौचालय आदि में पुनः प्रयोग होगा या संबंधित सलाहकार समिति द्वारा दिए गए किसी अन्य सुझाव के अनुकूल होगा।
- (11) प्रत्येक सलाहकार समिति ऊपर लिखित सांविधिक दायित्वों के अतिरिक्त, नलकूप या बोरवैल से जल दोहन के कारण किसी प्रकार के हुए जल प्रदूषण संबंधी सूचना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को देगा ताकि जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंध के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- (12) कृषि प्रयोजनों के लिए बोरवैल लगाने की अनुमति खंड विकास अधिकारी तथा कृषि विभाग अथवा बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार की संस्तुति पर आधारित संबंधित उपायुक्त (राजस्व) के अन्तर्गत सलाहकार समिति द्वारा वास्तविक कृषकों को प्रदान की जा सकती है। कृषि कार्याकलाप खसरा वास्तविक प्रलेखों से सत्यापित की जा सकती है और यह गिरदाबरी मूल्यांकन पर भी आधारित की जा सकती है।

- (13) उक्त निर्देशों का किसी प्रकार का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 15 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
धर्मेन्द्र, सचिव (पर्यावरण)

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS
AND WILDLIFE
NOTIFICATION**

Delhi, the 12th July, 2010

No. F8(348)/EA/Env/09/2246.— In exercise of power conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with the notification No. U-11030/J/91- UTL dated the 10th September, 1992 and in supersession of directions issued vide Order Nos F8(348)/EA/Env/09/14433-14451 and F8(348)/EA/Env/09/14452-14470 dated the 30th March 2009 as well as Order Nos. F8(348)/EA/Env/09/555-582 and F8(348)/EA/Env/09/583-610 dated the 30th April 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, has issued Annexed directions vide order No. F8 (348)/EA/Env/09/1041-1061 dated the 18th May 2010 for groundwater regulation and management in Delhi.

The direction issued as Annexed are hereby published for information of the general public.

By Order and in the name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUSHMA JERATH, Dy. Secy.

ANNEXURE

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

Order

Delhi, the 18th May, 2010

Sub : Direction under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986

F8. (348)/EA/Env/09.—Whereas, the Central Government has authorized the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi vide notification S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992 to exercise powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the National Capital Territory of Delhi and to issue directions thereunder, to any person, officer or any authority for the closure, prohibition or regulation of any operation or process or stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other services.

And whereas Delhi Jal Board constituted under the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998) is dealing

with water supply network of drinking, domestic, industrial and commercial water in the National Capital Territory of Delhi;

And whereas continued abstraction of ground water has led to serve depletion of ground water resources;

And whereas non-restricted and non-regulated abstraction of ground water has serious long term environmental implications;

And whereas over abstraction of ground water can result in drying up of ground water resources and may also affect water quality;

And whereas Central Ground Water Authority had, in the year of 2000, notified the South and South-West districts of Delhi as "Notified Areas" and imposed prohibition and restriction in those districts on the construction and installation of any structure for abstraction of ground water resources to avoid further depletion and deterioration in water quality in the said districts;

And whereas through, another notification in March 2006, Central Ground Water Authority has notified East, New Delhi, North-East, North-West and West districts of Delhi as over exploited areas needing regulation, and registration of ground water abstraction structures in those districts was made compulsory.

Now, therefore, in exercise of power conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with the Ministry of Home Affairs, Government of India Notification S.O. 667 (E) bearing F.No. U-11030/J/91- UTL dated the 10th September, 1992 and in supersession of directions issued vide Order Nos. F8(348)/EA/Env/09/14433-14451 and F8(348)/EA/Env/09/14452-14470 dated the 30th March 2009 as well as Order Nos. F8(348)/EA/Env/09/555-582 and F8(348)/EA/Env/09/583-610 dated the 30th April 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues the following directions, namely:—

- (1) In the whole of the National Capital Territory of Delhi, no person, group, authority, association or institution shall draw ground water through bore-well or tubewell (both new as well as existing and drawing ground water without permission of Central Ground Water Authority) for domestic, commercial, agricultural and or industrial uses without the prior permission of the "Competent Authority" that is to say, the Delhi Jal Board or the New Delhi Municipal Council as the case may be.
- (2) The issue of grant of permission for borewell/tubewell shall be dealt by Competent Authority through the Deputy Commissioner (Revenue) of each revenue area, GNCTD, who is hereby appointed as "Authorized Officer" for the purpose of regulation of ground water development and management in the respective revenue areas under the jurisdiction.

2704 DG/10-2

- (3) The Deputy Commissioner (Revenue) of each revenue area, GNCTD, who is the Authorized Officer, are further delegated with the power of dealing with other issues such as checking violation and sealing illegal wells, launching of prosecution against offenders etc. including grievance redressal related to ground water, based on the recommendations of the Advisory Committee.
- (4) An Advisory Committee in each nine revenue areas of the National Capital Territory of Delhi is hereby constituted under the Chairmanship of the Deputy Commissioner of each revenue area comprising of the following members:
1. Deputy Commissioner (Revenue), : Chairman;
of concerned revenue area
 2. Director (Panchayat) : Member;
 3. Chief Engineer nominated by : Member;
Delhi Jal Board
 4. Representative of Central Ground : Member;
Water Board, New Delhi
 5. Representatives of local bodies : Member;
having jurisdiction over the area
 6. Representative of Department : Member;
of Environment, GNCTD/DPCC
 7. Representative of reputed NGO : Member.
in the field of Groundwater
Management nominated by the
Deputy Commissioner concerned
- (5) The Advisory Committee shall meet atleast once in every month to take up various issues related to ground water regulation and management in the concerned revenue area and give recommendations to the Deputy Commissioner for further consideration and enforcement. Only the recommended groundwater boring cases shall be forwarded to Competent Authority for grant of permission.
- (6) In emergent violation cases such as illegal groundwater drawl, the Authorized Officer, subject to his satisfaction, shall ensure the discontinuation of the same by the seizure of drilling rig, sealing of tubewell/borewell if so constructed and also disconnection of electricity supply to the energized tubewell even if it is through DG sets, without waiting for recommendation of Advisory Committee. However the details of such action shall be placed by the Authorized Officer in the next Advisory Committee meeting.
- (7) If any person, group, authority, association or institution, intends to draw ground water through bore-well or tube-well(both new as well as existing and drawing ground water without permission of Central Ground Water Authority), he shall take prior permission from Competent Authority. Such permission shall be obtained through submission of an application to Zonal Offices of the Competent Authority, in the form specified by the Competent Authority.
- (8) The Executive Engineer of the Competent Authority, incharge of the concerned area shall recommend the case, based on the facts on the ground, to the concerned Deputy Commissioner (Revenue) of the revenue area who shall issue orders in the light of the recommendations of Executive Engineer of the Competent Authority and the Advisory Committee.
- (9) If the plot size of the building is more than 200 sq. meters, the permission to draw ground water through borewell or tubewell (both new as well as existing and drawing groundwater without permission of Central Ground Water Authority) shall be subject to the condition that the occupier or owner of the said plot or building shall install rain water harvesting system in such building.
- (10) The permission to draw ground water through borewell or tubewell (both new as well as existing and drawing ground water without permission of Central Ground Water Authority) for commercial and or industrial use shall be subject to the condition that the concerned person or authority shall install the rain water harvesting structure, and shall ensure reuse of the water in horticulture or cooling or toilet flushing, etc after proper treatment of waste water or any other suggestions given by the concerned Advisory Committee.
- (11) Each of the Advisory Committee in addition to their above mentioned statutory duties, will inform Delhi Pollution Control Committee about any water pollution occurring, due to extraction of water from tube-well or bore-well so that, necessary action may be initiated under the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- (12) The permission of borewell installation for agricultural purpose may be granted to genuine agriculturists by the Advisory Committee under concerned Deputy Commissioner (Revenue) based on the recommendation of Block Development Officer and Agriculture Department/Irrigation and Flood Control Department, Govt. of N.C. of Delhi.

Agriculture activity may be verified from Khasra Girdawari documents and also based on actual evaluation.

- (13) Any violation of the above directions shall be punishable under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
DHARMENDRA, Secretary (Environment)

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ
अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2010

फा. संख्या 6(14)/85/स्था./सह./पार्ट फाइल 2349.—
दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरि नारायण मीणा, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के

अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से,

एस. के. झा, अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)

**OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE
SOCIETIES**

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2010

No. F. 6/14/85/Estt./Coop/Pt. file 2349.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Hari Narain Meena, Adhoc DANICS as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi, to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
S. K. JHA, Addl. Secretary (Coop.)